



अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उद्देश्य एवं भारत को लाभ

डा० निशा वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

एस०एन०सेन० पी०जी० कालेज

कानपुर

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ समझौते के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्य उद्देश्य अर्द्धविकसित देशों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है इसके लिये यह ऋणों पर न्यूनतम सेवा शुल्क भी लेती है। यह सम्बन्धित देशों के आर्थिक विकास, उत्पादकता, रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करता है। जिसका अर्द्धविकसित देशों के भुगतान संतुलन पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। इसके निम्न उद्देश्य हैं-

1. अत्यन्त निर्धन राष्ट्रों को उनके दीर्घकालीन विकास हेतु ऋण प्रदान करना।
2. यह सरल शर्तों पर दीर्घ कालीन ऋण की व्यवस्था करता है तथा नाम मात्र का ब्याज लेता है।
3. इसका उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के जीवन स्तर में वृद्धि करना है।
4. इसका उद्देश्य अर्द्धविकसित देशों की सामाजिक पूंजी का विकास करना है।
5. इसका एक उद्देश्य गरीब देशों के भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव न डालते हुए उन्हीं की मुद्राओं में ऋण स्वीकार करना भी है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का उद्देश्य अत्यन्त सरल शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। इसलिये इसको सुलभ ऋण खिड़की के नाम से भी जाना जाता है।



अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता-

यह संस्था विश्व बैंक की पूरक एवं सहयोगी संस्था है। कोई भी देश जो विश्व बैंक का सदस्य है, इसका सदस्य हो सकता है। एक आवेदन देकर देश इसकी सदस्यता को छोड़ भी सकते है। स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 51 थी, जो जून 1998 में 160 हो गयी। विश्व बैंक के मॉडल पर इसमें भी गवर्नर मण्डल कार्यकारी संचालक समिति तथा अध्यक्ष होता है। विश्व बैंक के ही कर्मचारी परिषद के समस्त कार्यों को करते है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

अधिकृत पूंजी व अभ्यंश

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की अधिकृत पूंजी 1000 हजार मिलियन डॉलर निर्धारित की गयी थी। इस पूंजी के सदस्य देशों को कोटों का निर्धारण विश्व बैंक में उनके अभ्यंशों के अनुपात में किया गया था। कोटों के आधार पर विकसित व अर्द्धविकसित देशों की दो अलग-अलग सूचियां बनायी गयी है। विकसित देशों को अपने समस्त कोटे के भाग को स्वर्ण अथवा परिवर्तनशील मुद्रा जमा करना पड़ता है, जबकि विकासशील देशों को अपने 10 प्रतिशत स्वर्ण अथवा परिवर्तनशील मुद्रों में तथा शेष 90 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में जमा करना होता है। प्रारम्भिक कोटे को किरतों में भी दिया जा सकता था। विकसित देशों के कोटे से प्राप्त सम्पूर्ण राशि का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है जबकि अर्द्ध विकसित देशों द्वारा दी गयी कोटे की राशि का प्रयोग उस देश के बाहर की परियोजनाओं में करने पर सम्बन्धित देश की सहमति लेनी पड़ती है। 30 जून 1996 की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की कुल अंश पूंजी 9141 करोड़ डॉलर थी। संघ के मताधिकार के विकसित देशों का हिस्सा 61.59 प्रतिशत तथा शेष 38.41 प्रतिशत हिस्सा विकासशील देशों का था। प्रत्येक सदस्य को 500 रू० प्रति 5 हजार डालर पर एक मत देने का अधिकार है। भारत का अंशधन 53.63 मिलियन डॉलर है। तथा उसका मताधिकार 3.17 प्रतिशत है।



अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्य एवं ऋण नीति की विशेषतायें

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का प्रमुख कार्य अर्द्ध विकसित सदस्य राष्ट्रों के विकास की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें दीर्घ कालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्द्ध विकसित देशों की विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें ऋण स्वीकृत कराता है। यह संस्था ऋणों के उचित प्रयोग पर भी निगरानी रखती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण नीति के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं-

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्द्ध विकसित राष्ट्र की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके आर्थिक विकास के लिए विकास पूंजी व सामाजिक पूंजी दोनों के लिए ही ऋण प्रदान करती है। विकास पूंजी के अन्तर्गत निर्माणकारी पूंजी आती है। जिसमें उद्योगों की स्थापना हेतु मशीनें, यंत्र, भवन निर्माण आदि आते हैं। सामाजिक पूंजी के अन्तर्गत अवसरचना के विकास के लिए ऋण आते हैं। इनमें मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण, बांध, पुल, नहर, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवार्यें आती हैं।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ दीर्घ कालीन पूंजी की व्यवस्था करता है। विकास संघ द्वारा प्रदत्त ऋणों के भुगतान की अवधि प्रायः 30 से 50 वर्ष के मध्य होती है। इसमें प्रारम्भिक छूट की अवधि 10 वर्ष है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण की अदायगी सदस्य देशों की मुद्राओं में भी की जा सकती है।
4. विकास को उच्च वरीयता देने वाली परियोजनाओं को ऋण दिया जाता है। संघ उन्हीं परियोजनाओं को ऋण देता है, जिनकी अत्यन्त आवश्यकता होती है।
5. विकास संघ द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाता। मात्र 1 अथवा 3/4 प्रतिशत वार्षिक शुल्क लिया जाता है।
6. संघ की वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिवर्ष वचन बढ़ता शुल्क निर्धारित किया जाता है। यह 1989 से शून्य प्रतिशत है।



7. सदस्य राष्ट्र की परियोजना जिनके लिये आवेदन किया गया है, का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति से करवाया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन-

यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक की पूरक एवं सहयोगी संस्था के रूप में अर्द्ध विकसित राष्ट्रों की सहायता का कार्य करती है। इस संस्था का प्रगति विवरण निम्न प्रकार से है-

1. **सदस्यता में वृद्धि-** वर्ष 1960 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे। यह संख्या 30 जून 1998 को बढ़कर 160 हासे गयी।
2. **पूंजी में वृद्धि-** स्थापना के समय इस संस्था की अधिकृत पूंजी 906 मिलियन डॉलर थी। जो 30 जून 1998 को बढ़कर 95055 मिलियन डॉलर हो गयी।
3. **ऋणों का परियोजनावार विवरण-** अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सरकारी या निजी अथवा राज्य सरकारों को भी ऋण मिल सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किये गये साख की वार्षिक औसत 1964-68 की अवधि में 0.3 विलियन डॉलर थी, जो 1969-73 तथा 1974-78 में क्रमशः 0.8 विलियन डॉलर तथा 1.6 विलियन डॉलर हो गयी। वर्ष 1990 से 1994 तक के 5 वर्षों की अवधि में कुल 31.9 विलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किये गये। वर्ष 1996 में 6864 मिलियन डॉलर, 1997 में 101564 मिलियन डॉलर तथा 1998 में 109071 मिलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्रदान किये गये ऋण का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है-



अन्तराष्ट्रीय विकास परियोजना ऋण वितरण

क्र०सं०	उद्देश्य	स्वीकृत राशि (मिलियन डॉलर में)
1.	कृषि	30758
2.	क्षेत्र	12695
3.	परिवहन	12604
4.	शिक्षा	10500
5.	शक्ति एवं ऊर्जा	8204
6.	स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं पोषण	7248
7.	जल आपूर्ति	4366
8.	वित्त	3900
9.	शहरी विकास	4340
10.	सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन	3453
11.	उद्योग	3327
12.	अन्य क्षेत्र	7676
	कुल योग	109071

4. ऋणों का भौगोलिक वितरण- अन्तराष्ट्रीय विकास संघ विश्व के सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर ऋण प्रदान करता है। इसके द्वारा प्रदत्त क्षेत्रवार ऋणों का विवरण निम्न तालिका में है-



अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदत्त ऋणों का भौगोलिक वितरण

क्र०सं०	भौगोलिक क्षेत्र	कुल
1.	अफ्रीका	37929
2.	पूर्वी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र	14268
3.	दक्षिणी एशिया	40560
4.	यूरोप तथा मध्य एशिया	2032
5.	लैटिन अमेरिका तथा कैरिवियन क्षेत्र	3535
6.	मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका	3240
	समस्त योग	101564

क्षेत्रवार सहायता में सबसे अधिक 50 प्रतिशत से अधिक के ऋण एशियाई देशों ने प्राप्त किये हैं। अफ्रीका को लगभग 30 प्रतिशत तथा यूरोप को 9 प्रतिशत प्राप्त हुए हैं। शेष ऋण अन्य देशों को दिया गया है।

यद्यपि विकसित राष्ट्र विकास संघ की अत्यधिक उदारता की आलोचना करते हैं, लेकिन यह विकासशील राष्ट्रों के लिये वरदान सिद्ध हुई है। विकसित राष्ट्र ऋणी देशों द्वारा ऋण अपनी मुद्राओं में भी लौटाने की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका मत है कि इससे परिवर्तनशील मुद्रा की कमी की समस्या बढ़ जायेगी। विकासशील राष्ट्रों का मत है कि इसमें अत्यधिक अमेरिकी दबाव है। कुछ आलोचकों का मत है कि विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को देखते हुए संघ के संसाधन काफी कम हैं और वह गरीब देशों की सीमित सहायता ही कर पाता है। इसलिये विकास संघ को साधनों की पुनः पूर्ति तथा साधनों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।



अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और भारत

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। वर्ष 1966 में भारत को 275.65 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गयी। यह राशि 1978-79 में बढ़कर 1165.87 करोड़ रुपये हो गयी। 30 जून 1980 तक 20569.8 मिलियन डॉलर के कुल ऋण स्वीकृति में भारत के लिये 8285 मिलियन डॉलर के 112 ऋण स्वीकृत किये गये। इस प्रकार भारत को विकास संघ द्वारा स्वीकृत ऋणों में 40.3 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। 1980 में चीन द्वारा विश्व बैंक एवं विकास संघ की सदस्यता ग्रहण करने के कारण नियमित सहायता दी जाने लगी। इस कारण भारत वर्ष को प्राप्त सहायता राशि में कमी आ गयी है। वर्ष 1992-93 से 1999 तक भारत को संघ से प्राप्त ऋण राशि का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है-

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को वितरित ऋण

(मिलियन डॉलर में)

वर्ष	भारत को समस्त वितरित ऋण की राशि	भारत का कुल ऋण में प्रतिशत हिस्सा
1992-93	1532.7	22.7
1993-94	834.8	12.7
1994-95	944.7	16.7
1995-96	1301.1	19.0
1996-97	903.0	19.5
1997-98	656.0	9.6



निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत को विकास संघ से अभूतपूर्व सहायता प्राप्त हुई है। इससे भारत के सर्वांगीण विकास में सहायता मिली है। भारत ने संघ की साख का प्रयोग अपनी सामाजिक उपरिव्यय पूंजी के विकास के लिये किया है।

यूजीन ब्लैक के शब्दों में “अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचाने में समर्थ होंगे जिन तक विश्व बैंक नहीं पहुंच पाता है। हमारा उद्देश्य उन लोगों को सुन्दर, स्वस्थ तथा निर्माणकारी जीवन प्रदान करना है।”

सन्दर्भ-

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ “आईडीए0 : एतिहासिक समय रेखा”। विश्व बैंक समूह 2012-7-01 को लिया गया।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (1960) आईडीए0 समझौते के लेखा (पीडीएफ0 रिपोर्ट) विश्व बैंक समूह 2012.07.01 को लिया गया।
3. “विश्व बैंक (आईबीआरडी और आईडीए) संरचना” बैंक सूचना केन्द्र मूल से 2012.02.08 को संग्रहीत 2012.07.01 को लिया गया।
4. “आईडीए0 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ”। ब्रेटन वुड्स परियोजना मूल से 2012.04.26 को संग्रहीत। 2012.07.14 को लिया गया।
5. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, दक्षिण एशिया : आईडीए0 प्रमुख सेवाओ तक पहुंच को समर्थन करता है”। विश्व बैंक समूह। 2012.07.15
6. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ “आपात कालीन और संकट वित्तपोषण तंत्र। विश्व बैंक समूह 2012.07.01